

सं.राबैं.डीओआर.जीएसएस/ 2563 /मृदा परीक्षण लैब/2017-18

9 नवंबर 2017

The Chairman/Managing Director
All Scheduled Commercial Banks

All Scheduled Commercial Ba /RRBs/SCARDBs/ StCBs/Scheduled PUCBs

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/ राज्य सहकारी बैंक / अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय

राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना के अधीन जैव कृषि के वाणिज्य उत्पादन इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना - राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (स्थिर/चल)/मिनी प्रयोगशालाओं और ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजनाओं को योजना से हटाना

कृपया 21 अप्रैल 2017 का हमारा परिपत्र सं.96 देखें जिसमें वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना के अधीन जैव निवेशों के वाणिज्य उत्पादन इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत फल और सब्जी बिक्री अपशिष्ट कम्पोस्ट और बायोउर्वरक-बायोकीटनाशक उत्पादन इकाइयों के लिए सब्सिडी जारी रखने की सूचना दी गई है. हमने सूचना दी है कि(01 फरवरी 2017 से 31 मार्च 2018 तक स्वीकृत ऋणों के लिए) उपर्युक्त योजना के अधीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी एक घटक के रूप में शामिल किया गया है.

2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि 26 सितंबर 2017 को नाबार्ड के अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक में समेकित पोषण प्रबंधन प्रभाग(आईएनएम), कृषि विभाग, सहकारिता और कृषक कल्याण, भारत सरकार ने बताया है कि भारत सरकार मृदा परीक्षण

Dear Sir/Madam

Capital Investment Subsidy Scheme for Commercial Production Units of Organic Farming under National Project on Organic Farming – Withdrawal of Soil Testing Labs(Static/Mobile)/MiniLabs and Soil Testing Projects at Village level from NPOF scheme

Please refer to our circular No.96 dated 21 April 2017 on continuation of Fruit and Vegetable Market Waste Compost and Biofertilizers-Biopesticides production units under the Capital Investment Subsidy Scheme for Commercial Production Units of Organic Inputs under National Project on Organic Farming during 2017-18. We have advised that soil testing labs also have been included as a component under the above scheme (for loans sanctioned from 1 February 2017 applicable upto 31 March 2018).

2. In this regard, we would like to inform that the INM Division of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Govt. of India has informed in their meeting with NABARD officials on 26 September 2017 that GoI is not going ahead with the Capital Investment Subsidy Scheme on Soil Testing Labs. It was informed that GoI will now focus

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development.

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेलि. : +91 22 2653 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : +91 22 26524828. Fax : +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े Taking Rural India >> Forward

प्रयोगशालाओं पर पूंजी निवेश सब्सिडी योजना जारी नहीं रखना चाहती है. यह सूचित किया गया कि भारत सरकार प्रायोगिक तौर पर ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करेगी. इस विषय पर हम भारत सरकार से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

3. भारत सरकार से स्पष्टीकरण लंबित रहने तक भारत सरकार से आगे सूचना प्राप्त होने तक राष्ट्रीय जैव कृषि योजना परियोजना में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के घटक को हटाया गया माना जाएगा. फल और सब्जी बिक्री अपशिष्ट कम्पोस्ट तथा जैवउर्वरक-जैवकीटनाशक घटक वर्ष 2017-18 के दौरान योजना में जारी रहेंगे.

आप अपने नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करें.

भवदीय Yours faithfully

र्शाहत निप्र

(रोहित मिश्रा Rohit Mishra)

महाप्रबंधक General Manager

on soil testing projects at village level on pilot basis. We are awaiting clarification from GoI on the above issue.

3. Pending clarification from GoI, we inform that the components of soil testing labs may be treated as withdrawn from the National Projects on Organic Farming Scheme, till further advice is received from GoI. Other components viz. Fruit and Vegetable Market Waste Compost and Biofertilizers-Biopesticides production units shall continue to be part of the scheme during 2017-18

You may issue necessary instructions to your controlling offices/branches